

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय (सीपीसी) की बैठक सं045/2000 दिनांक 17.5.2000 को मध्याह्न 12.30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण -

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया :-

- 1- श्री के.पी.सिर्षल, सचिव जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री एस.एल.माथुर, निदेशक (अभियान्त्रिकी), जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री ए.के.गुप्ता निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री पी.आर.शर्मा, निदेशक (वित्त), जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री ए.एन.भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक (सीपीसी) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारियों ने भी भाग लिया :-

1. श्री अनिल गुप्ता, उपायुक्त जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
2. श्री वासुदेव शर्मा प्राधिकृत अधिकारी जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
3. श्री रमेश चन्द शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी जोन बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
4. श्री मुकेश मिश्र, सहायक नगर नियोजक (सीपीसी) जविप्रा, जयपुर ।

§1§ बीपीसी-11 (सीपीसी) की बैठक सं043/2000 दिनांक 2.5.2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु-

एजेण्डा सं.43/2000-1 के बिन्दु सं.1 में उल्लिखित केकल वर्गमीटर को वर्गगज पढ़ा जावे। इस संशोधन के साथ समिति द्वारा पुष्टि की गई ।

§2§ बीपीसी-11 (सीपीसी) की बैठक सं.44/2000 दिनांक 5.5.2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु -

समिति द्वारा पुष्टि की गई ।

§3§ विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये -

3.1- एजेण्डा संख्या 45/2000-1 भारत भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना वसुन्धरा कॉलोनी (जोन बी-2) :-

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत पूर्व स्वीकृत मानचित्र, मौके पर कराये गये सर्वे का मानचित्र का समिति द्वारा अक्लोकन किया गया एवं उपायुक्त जोन द्वारा बताए गए तथ्यों पर विचार विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये --

§1§ भूखण्ड संख्या 243 से 246 व 247 से 250 के मध्य स्थित सड़क की चौड़ाई 20 फिट से बढ़ाकर मौके के अनुसार 25 फिट रखी जाय ।

§1.1§ योजना के ओ.एस.डी. क्षेत्र में स्थित तीन पूर्व पश्चिम सड़कों की चौड़ाई ओ एसडी द्वारा जारी पदों के अनुसार रखी जाय ।

§1.1.1§ योजना की शेष सभी सड़के पूर्व अनुमोदित प्लान के अनुसार रखी जाय ।

§IV§ भूखण्ड संख्या 153 से 162 एवं 39 से 44 - जो पूर्व में पैरामीटर के कारण अनुमोदित नहीं किये गये थे उन्हें अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

§V§ भूखण्ड संख्या : 14 से 24 - - - जो ओ.एस.डी. क्षेत्र में स्थित है उनको निर्णय संख्या 3.1.11 के निर्णय के परिपेक्ष में अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया ।

§VI§ पूर्व में अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड संख्या 25 से 40 के अनुरूप भूखण्ड संख्या 9 से 24 तक को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया परन्तु उपायुक्त जोन बी-2 को निर्देशा दिये गये कि वो इन दोनों ब्लॉक की मौके की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि इनको ग्रुप कर आवासीय पट्टे दिए जायें या व्यावसायिक पट्टे दिये जायें ।

§VII§ इस योजना के शिबिर में आवेदकों की भारी भीड़ को देखते हुए शिबिर 24, 25 मई, 2000 को भी आयोजित करने का निर्णय लिया गया ।

3.2- एजेण्डा सं० 45/2000- 2 :- प्रताप नगर गृह निर्माण सहायकी समिति की योजना 8 बी व 8 सी §जोन बी-2§ :-

उपायुक्त जोन बी-2 द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श कर तथा बताये गये तथ्यों के आधार पर निम्न निर्णय लिये गये :-

I. मौके के सर्वे के अनुसार योजना के भूखण्डों की नाप रखी जाये ।

II. योजना का रोड़ नेटवर्क व सड़क को चौड़ाई पूर्व स्वीकृत प्लान के अनुसार रखी जाये ।

III. भूखण्ड सं० सी-59 व सी-60 के बीच दर्शायी गयी लैन §रास्ते§ को विलोपित करते हुए इन दोनों भूखण्डों को मौके की नाप के अनुसार स्वीकृत किया गया ।

3.3- एजेण्डा सं० 45/2000-3. :- राजहंस गृह निर्माण सहायकी समिति की योजना जनकपुरी, ब्लॉक- बी §जोन बी-2 § :-

उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताई गई मौके की स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया । भूखण्ड सं० 71 से 81 के सामने स्थित रोड़ के सन्दर्भ में प्रस्तुत भूखण्ड स्वामियों के प्रतिवेदन पर माननीय मंत्री नगरीय विकास द्वारा दिये गये निर्देश, मौके पर आवागमन की स्थिति व सड़क के मध्य बिन्दु से 15 फिट दूरी पर चल रहे नाली निर्माण के मददेनजर इस रोड़ को 30 फिट रखने का निर्णय लिया गया व 30 फिट चौड़ी रोड़ के अंदर आने वाले अतिक्रमण को तुरवाने का निर्णय लिया गया ।

3.4- एजेण्डा सं० 45/2000- 4 :- अपोलो गृह निर्माण सहायकी समिति की योजना महेश नगर विस्तार §जोन बी-2§ :-

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं० 8 से 19 की गहराई जो पूर्व अनुमोदित मानचित्र में 60 फिट दर्शाई गई है उसे मौके की स्थिति के अनुसार 65 फिट करने का निर्णय लिया गया ।

बेठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय §सीपीसी§


जक्वटा, जयपुर ।

क्रमांक : एफ-11 §14§ जक्वटा/वननि/सीपी/45/2000/डी- 233.

दिनांक : 20.5.2000

प्रतिलिपि: -

- 1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
- 3- निदेशक { आयोजना } / { विधि } / { वित्त } / { अभियांत्रिकी } जविप्रा, जयपुर ।
- 4- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन बी-1, एवं बी-2, जविप्रा, जयपुर ।
- 5- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय { सीपीसी }
जविप्रा, जयपुर ।